कार्यालय नगर पंचायत नरहरपुर, जिला – उ.ब. कांकेर (छ.ग.)

ई–प्रोक्योरमेंट निविदा की शर्ते

01. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

02. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे।

03. शासन निर्देशानुसार "ऐसे व्यक्तियों को जो किसी भी तरह के लिये पहले ठेके निश्चित समय और राशि मे पूरा करने मे असफल हुये" निविदा मे भाग नही लिया जा सकेगा।

04. निविदा प्राप्त करने के इच्छुक ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज ऑफलाईन **स्वप्रमाणित / नोटराईज्ड** प्रस्तुत करना होगा –

- **Self Attested / Notarized Copy of E-Registration certificates.**
- **Self Attested / Notarized Copy of PAN CARD.**
- **Self Attested /Notarized Copy of Income Tax Return Clearance (Saral copy) Certificate (Last Two Year)**
- **Self Attested / Notarized Copy of GST Registration certificate with annexure A,B**
- **Self Attested /Notarized Copy of Financial Capacity (Minium 15% of Probable Amount of Contract) in the form of Bank salvency.**
- **Self Attested/Notarized Copy of 2B form Tools & Tackle Certified by Superintending Engineer/Executive Engineer.**
- **Self Attested / Notarized Copy of Engineer Engaged by Contractor (With Engineering Passed Certificate)**
- **Annexure-13 Affidevit.**
- **कर्मचारी भविष्य निधि रायपुर से पंजीकरण एवं पिछले 03 माह की चालान की प्रति।**
- **The bidder of tender shall submit authorized converter certificate issued by Retro Reflective Sheeting manufacture, the Retro Reflective sheeting manufacturer should have an subsidiary in India, the certificate issued by National Distributor or Agency will not be allowed.**
- **The bidder of tender shall submit current tender specific authorized converter certificate issued by Retro Reflective sheeting manufacturer, the Retro Reflective sheeting manufacture should have an subsidiary in India, the certificate issued by National Distributor or Agency will not be allowed.**

5. **The successful bidder shall obtain from the manufacturer of Retro Reflective shecting a pre- Qualification warranty certificate for 10 years for class C type of sheeting and for 7 years for class B Type of sheeting in original for satisfactory field performance of Retro Reflective sign as per IRC 67-2012 Clause 6.7 & 6.9 which should be jointly attested by Retro Reflective sheeting manufacturer and Authorized Tenderer/Converter.**

6. **The successful bidder shall submit Government/ International Lab Test Report for Retro Reflective sheeting for meeting test results criteria as per IRC 67-2012**

7. अमानत राशि एफडीआर की मूल प्रति एवं 100 रू के स्टाम्प में शपथ पत्र (नोटराईज्ड) स्पीड पोस्ट के माध्यम से निविदा खोले जाने के पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र मे दी जाने वाली दरे समस्त करों को सम्मिलित कर दिया जावेगा।

8. जब निविदा की दरो में असामान्य कमी प्रतीत हो, तब सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेस गारंटी राशि जमा कराई जावेगी, जैसे अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत् कम निविदा दर होने पर सफल निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत् अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेस गांरटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉजिट, एन.एस.सी. जो कि संबंधित निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से देय होगा, मांग की तिथि से 15 दिनों की समयावधि मे जमा कराना अनिवार्य होगा, उपरोक्त राशि को समयावधि मे जमा न कराने की दशा में निविदा स्वयमेव निरस्त हो जावेगी।

9. निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

10. किसी भी विवाद के स्थिति में अध्यक्ष / मुख्य नगर पालिका अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षो को स्वीकार्य होगा।

11. अपरिहार्य कारणो से यदि निविदा हेतु आवेदन / प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन / प्रपत्र प्रदाय / निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

12. इकरारनामा करने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जावेगा।
13. अनुबंध के पूर्व 5 प्रतिशत पी.जी. हेतु ठेके की राशि बैक गारंटी के रूप मे जमा करने पर ही कार्यादेश दी जावेगी। अन्यथा समस्त चलदेयक से उक्त राशि की कटौती की जावेगी।
14. अनुबंध के समय निविदाकार को स्वयं उपस्थित होना होगा, प्रतिनिधि को अनुमति नही होगी।
15. कार्यादेश प्राप्ति पश्चात् निकाय के अधिकृत उपअभियंता से एक सप्ताह के अंदर ले–आऊट लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे स्वतः की जवाबदारी होगी।
16. ठेकेदार द्वारा निविदा की प्रस्तुति यह विवांछित करती है कि, उसने निविदा की सूचना पत्र शर्ते एवं अन्य संविदा दस्तावेजो को पढ़ लिया हैं, एवं इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता 1970/भारतीय मानको किये जाने वाले कार्य के क्षेत्र विनिर्देश मानक एवं प्रकिया के संबंध मे स्वयं को सतर्क कर लिया हैं। स्वयं की पहुंच से कार्य स्थल आदि की जांच कर ली हैं, एवं स्वयं को स्थल के कार्य आदि की उपर्युक्ता एवं उपलब्धता के संबंध मे संतुष्ट कर लिये हैं, तथा स्वयं को खदानो पर सामाग्री की उपर्युक्ता के संबंध मे संतुष्ट कर लिया हैं।
17. रायल्टी का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा, ततपश्चात् अंतिम देयक का भुगतान किया जावेगा।
18. निर्धारित अवधि मे कार्य पूर्ण नही करने पर देयक में 10 प्रतिशत् की राशि कटौती की जावेगी।
19. प्रत्येक चल देयक से सुरक्षा निधि/आयकर/रायल्टी/उपकर नियमानुसार कटौती की जावेगी।
20. निविदा कार्य में लगने वाली प्रयुक्त सामाग्री की व्यवस्था सफल ठेकेदार को करनी होगी। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की सामाग्री न तो प्रदाय की जावेगी और न ही उसे प्राप्त करने में सहायता की जावेगी।
21. कार्य प्रारंभ नही करने या अपूर्ण स्थिति मे छोड़ने पर निविदाकार को आगामी छः माह के लिये किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा।
22. सीमेंट कांक्रीट रोड़ व नाली निर्माण कार्य मे मिक्चर मशीन/निडिल व प्लेट वाईब्रेटर, प्लोटर मशीन का उपयोग करना अनिवार्य होगा, साथ ही एक्पेन्सन ज्वाइंट देना अनिवार्य होगा।
23. किसी भी प्रकार के कांक्रीट कार्य मे केवल क्रशर मेटल का उपयोग किया जाना होगा।
24. निर्माण कार्य के लिये पानी की व्यवस्था स्वयं को करना होगा, निकाय द्वारा पानी प्रदाय किये जाने पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा या देयक से कटौती की जावेगी।
25. छ.ग. निर्माण कार्य विभाग के मैनुअल के अनुसार कार्य उपयोग मे लाये जाने वाले सामग्रियो का परीक्षण स्वयं के व्यय पर कराया जाना होगा।
26. कार्य प्रारंभ करते समय ठेकेदार द्वारा इंजीनियर को सूचित किया जाना होगा। इंजीनियर द्वारा दिये गये निर्देशो का अक्षरशः पालन किया जाना होगा।
27. ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर प्रत्येक कार्य के लिये साईट इंजीनियर रखा जाना होगा। जिसका नियुक्ति प्रमाण पत्र, नियुक्त साईट इंजीनियर का सहमति पत्र एवं लास्ट सेमेस्टर की अंकसूची की छायाप्रति।
28. ठेकेदार को उनकी निविदा द्वारा प्रस्तुत कम/अधिक प्रतिशत् पर किये गये कार्य पर भुगतान किया जावेगा। कार्य के दौरान मूल्य वृद्धि की गणना किसी भी स्थिति मे नही की जावेगी, सभी देयको से सुरक्षा राशि रोकी जावेगी। कार्य पूर्ण पश्चात् पी.डब्लयू.डी कार्य मैनुअल अनुसार कार्य सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
29. अंतिम देयक का भुगतान रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र जमा करने पर ही होगा।
30. कार्य पूर्ण होने के वास्तिक स्थिति से 06 माह अथवा 01 वर्षा ऋतु (जो बाद में पूर्ण होता हो) पश्चात् सक्षम अधिकारी/कार्यपालन अभियंता द्वारा अंतिम देयक का सत्यापन किया जावेगा।
31. सुरक्षा निधि की राशि अंतिम देयक सत्यापन के पश्चात् भुगतान किया जावेगा।
32. स्ववित्तीय योजना अंतर्गत जारी की गयी निविदा में निलामी से प्राप्त राशि द्वारा सुविधा अनुसार भुगतान किया जावेगा राशि उपलब्ध होने पर ही भुगतान की जावेगी।
33. राशि की कमी के कारण कार्य को नहीं रोका जाना होगा और यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि उक्त आधार पर कार्यावधि नहीं बढ़ाई जावेगी।
34. निविदा संबंधी अन्य आवश्यक जानकारी व शर्ते निर्माण शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती हैं।
35. निविदा सूचना/शर्तो मे किसी प्रकार संशोधन की आवश्यकता होने पर संशोधन सूचना समाचार पत्रो में प्रकाशित नही की जावेगी, संशोधन सूचना केवल विभागीय वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** पर दी जावेगी।
36. संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्रमांक/9136/चार/ले.अनु./2024–25 नवा रायपुर, दिनांक 05/12/2024 में उल्लेखित शर्तो का पालन संबंधित कार्यो हेतु किया जाना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

37. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ0ग0 नवा रायपुर, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक/या.प्र.–5/2022/1786 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 25/05/2022 के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 21–5/टी/19/2012/निविदा, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 15/10/2020 में उल्लेखित कंडिकाओ का पालन करना अनिवार्य होगा।

38. शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

उपअभियंता
नगर पंचायत नरहरपुर
जिला उ0ब0 कांकेर

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत नरहरपुर
जिला उ0ब0 कांकेर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner